रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 57] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2012/माघ 20, 1933
No. 57] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2012/MAGHA 20, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2012

सा.का.नि. 80(अ).— गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा गर्भ-धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियमावली, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को **गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग-चयन का प्रतिषेध) संशोधन नियमावली, 2012 कहा जाएगा।**

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे।

2. प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियमावली, 1996 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 2 में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(छ) "मोबाइल मेडिकल यूनिट" से एक मोबाइल वाहन अभिप्रेत है बुनियादी विशेषज्ञ सेवाओं के जरूरतमंद रोगियों के लिए विशेषज्ञता सुविधाएं मुहैया करवाती है और समूचे देश में विशेषतया अल्पसेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में बेहतर पहुंच और घर पर स्वास्थ्य सेवाओं के समान वितरण की व्यवस्था करती हैं' ।